राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ/02/07/2020/एस.I / दिनांक 25.03.2020

आदेश सं. – 120

जबकि दिनांक 22.03.2020 के आदेश के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकार वाले क्षेत्र में 23 मार्च, 2020 को प्रातः 6.00 बजे से 31 मार्च, 2020 की मध्यरात्रि तक संपूर्ण लॉकडाउन की अधिसूचना जारी की गई है।

और जबकि समाज के ऐसे कुछ बेघर/निराश्रित/वंचित लोग हो सकते हैं जिनके पास पके हुए भोजन होने का कोई माध्यम नहीं हो सकता. अतः, अब, समाज के बेघर/निराश्रित/वंचित और व्यथित लोगों को नियमित तौर पर तैयार भोजन देने के लिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे :–

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समस्त जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित नियंत्रण कक्षों में 11.00 बजे से 15.00 बजे तक तथा 18.00 बजे से 21.00 बजे के बीच एक हंगर हैल्पलाइन चालू रहेगी। प्रत्येक जिले का हैल्पलाईन नम्बर अनुलग्नक–I में दिया गया है।
2. इस उद्देश्य के लिए, नियंत्रण कक्ष में सीईओ, डीयूएसआईबी द्वारा नामित डीयूएसआईबी का एक अधिकारी तैनात रहेगा।
3. हैल्पलाइन के द्वारा डीयूएसआईबी द्वारा चलाए जाने वाले रैन बसेरों के समीप तैयार भोजन प्राप्त करने के लिए निर्देश और सहायता प्रदान की जाएगी।
4. इन रैन बसेरों में भोजन उपलब्ध कराते समय सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी प्रोटोकॉल और कोविड–19 के परिप्रेक्ष में लागू अन्य उपायों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
5. रैन बसेरों में संबंधित जिला पुलिस उपायुक्तों द्वारा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी।
6. रैन बसेरों में संबंधित नगर निगमों द्वारा सफाई व्यवस्था की जाएगी।
7. इन उपायों के सुगम संचालन और क्रियान्वयन के लिए संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी तैनात किया जाएगा।

साथ ही, इन प्रयासों के उचित समन्वय तथा सरकार द्वारा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए माननीय मुख्य मंत्री के अनुमोदन से माननीय उप मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार पैनल नियुक्त किया जाएगा, जिसका विवरण इस प्रकार है :–

Scanned with CamScanner

1	उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव (गृह)	सदस्य
3	श्री विकास आनंद, आईएएस (एजीएमयूटीः2002)	सदस्य
4	सुश्री अभिनंदिता माथुर	सदस्य
5	सुश्री रंजना प्रसाद	सदस्य, डीसीपीसीआर
6	श्री गौतम भान	सदस्य/अर्बन प्लानर
7	श्री इंदु प्रकाश	सदस्य/शहरी बेघरों के विशेषज्ञ
8	श्री मुनाश कौशिक	सदस्य/आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ
9	सुश्री अखिला शिवदास	सदस्य/संस्थापक, सीएफएआर

मुख्य सचिव, दिल्ली

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

प्रतिलिपिः–

राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी सदस्य

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक -1

हंगर हैल्पलाइन नंबर

जिला	संपर्क नंबर	जिला	संपर्क नंबर
पूर्व	8375879007	दक्षिण पूर्व	7048998835
पूर्वोत्तर	9136469416	पश्चिम	8585269589
मध्य	7428210545	दक्षिण	9818523225
नई दिल्ली	7290978054	दक्षिण पश्चिम	9871662109
उत्तर	8595364814	उत्तर पश्चिम	8595552073
शाहदरा	8595269577		

Scanned with CamScanner